



BY SPEED POST/FAX

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा०कृ०अनु०प०)

नबीबाग बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal-462038 (M.P.)

Tel. No. (0755)2747375 EPABX: 2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 256) Fax. No. (075) 2733310

Web: www.iiss.nic.in

Date: 09/05/2016

Application No. 102-4/IISS/RTI/2016

To

Mr. Akhilesh Shukla,
H.No. D.K.-2/134,
Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal 462042

Sub: Reply to information under RTI Act, 2005- reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the information in response to your application received at this end under RTI dated 11/04/2016. Further it is informed that the Appellate Authority is Director, ICAR-IISS, Bhopal and his telephone no. is 0755-2730946.

Yours sincerely


(R. Elanchezhian)

Principal Scientist & CPIO

Encl: Information containing two pages from A.O.



(भा0 कृ0 अनु0 प0) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल – 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal – 462 038 (M.P.)

Tel No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 255) Fax. No. (0755) 2733310

F.No.1-2/2003/C&B/IISS

Dated: 05.05.2016

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान,
बैरसिया रोड, भोपाल –462 038

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी देने बावत्।


महोदय,

आपके नोट क्र. 102-4/आई आई एस एस/आर टी आई/2016 दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में श्री श्री अखिलेश शुक्ला, म.नं.-डी.के.-2/134, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल द्वारा मागी गई जानकारी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	प्रश्न	जवाब
1	एल.टी.सी./टी.ए. के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.पी.टी. के सर्कुलर का आफिस (संस्थान)को कब पता चला ।	यह संस्थान वर्ष 1988 से स्थापित हुआ है, तभी से एल.टी.सी./टी.ए. के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.पी.टी. के अनेक सर्कुलर जारी किये गये हैं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वेवसाईट www.permins.gov.in में देखा जा सकता है ।
2	डी.ओ.पी.टी. के इस सर्कुलर को कार्यालय (संस्थान) द्वारा पहली बार कर्मचारियों को कब सर्कुलेट किया गया तिथि के साथ ड्राफ्टिंग नोट भी संलग्न करें ।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक का स्पष्ट क्रमॉक एवं दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके ।
3	टी.ए./एल.टी.सी. अग्रिम स्वीकृत पत्र में डी.ओ.पी.टी.(गाईडलाईन)के दिशा निर्देशों को कबसे अमल में लाया गया ।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक का स्पष्ट क्रमॉक एवं दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके ।
4	डी.ओ.पी.टी. परिपत्र के दिशा निर्देश जारी होने के बाद संस्थान के कितने कर्मचारियों ने इसका अक्षरस पालन किया तथा कितने कर्मचारियों ने इसे अमल में नही लाया (सूची संलग्न करें)	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक का स्पष्ट क्रमॉक एवं दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके ।

क्र. सं.	प्रश्न	जवाब
5	अमल न करने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण संलग्न करें ।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक का स्पष्ट क्रमोंक एवं दिनोंक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके ।
6	क्या संस्थान् को डी.ओ.पी.टी. परिपत्र के अनुपालन की जानकारी दूसरे संस्थाओं की भी है, यदि हॉ तो उन्होने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ।	इस बारे में संस्थान् को कोई जानकारी नहीं है ।
7	क्या डी.ओ.पी.टी. ने हाल ही में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है, यदि हॉ तो संस्थान्ने उस पर क्या कार्यवाही की है ।	इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय अथवा वेवसाईट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

भवदीय



प्रशासनिक अधिकारी